केन्द्रीय रेशम बोर्ड
रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र
राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)
मीठीबेड़ी, प्रेमनगर
देहरादून - 248 007 (उत्तराखण्ड)
दूरभाष Phone: 0135-2773242

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

ISO 9001:2015 Certified Unit

CENTRAL SILK BOARD
SILKWORM SEED PRODUCTION CENTRE
National Silkworm Seed Organization
(Ministry of Textiles, Govt. of India)
Mithiberi, Prem Nagar
DEHRADUN - 248 007 (Uttarakhand)
ईमेल Email: sspcddn@gmail.com

सं. केरेबो/ रारेबीसं/ रेबीउके/ दे.दून/लेखा(24)/ पेड़ नीलामी/ 2019-20 | 663 दिनांक: 19.10.2019

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणानुसार **"जहाँ और जैसा के आधार"** पर खड़े एवं पड़े शीशम के वृक्षों की नीलामी **दिनांक 14.11.2019** को **अपराह्न 2.30 बजे** प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा खुली बोली के माध्यम से की जाएगी।

क्र. सं.	वृक्षों की प्रजाति व स्थिति	वृक्षों की संख्या	स्थल का पता	जमानत राशि (रु.)	नीलामी तिथि एवं समय
1.	शीशम सूखा खड़ा	03	रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र, मीठीबेरी, प्रेम नगर, देहरादून	1,000.00	14.11.2019 अपराह्न 2.30 बजे
2.	शीशम सूखा उखड़ा	01	रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र, मीठीबेरी, प्रेम नगर, देहरादून		14.11.2019 अपराह्न 2.30 बजे

नियम एवं शर्तें:

1. वृक्षों की नीलामी के इच्छुक व्यक्ति/पार्टी द्वारा दिनांक 14.11.2019 को नीलामी से पूर्व जमानत राशि कार्यालय में जमा करनी होगी। जमानत राशि जमा किए बिना किसी को भी नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
2. सफल बोलीदाता को जमानत राशि के आलावा स्वीकृत बोली राशि का 25 प्रतिशत तत्काल नकद जमा करना होगा तथा शेष राशि 07 दिन के अन्दर जमा करनी होगी।
3. एक महीने की निर्धारित अवधि के अन्दर नीलामी वाले वृक्षों को सफल बोलीदाता द्वारा अपनी व्यवस्था के तहत अच्छी तरह से काटना / उठाकर ले जाना होगा।
4. यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयावधि में बोली की सम्पूर्ण राशि जमा नहीं की जाती है तो उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि जब्त करते हुए उसकी बोली निरस्त कर दी जाएगी तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में नीलामी स्वीकृत कर दी जाएगी।
5. नीलामी के पश्चात् सफल बोलीदाता द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून से वृक्षों की पातन अनुमति भी प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी तथा पातन अनुज्ञा जारी करने से पूर्व वन विभाग द्वारा अनुज्ञापित शर्त के अनुसार रु. 300.00 प्रत्येक वृक्ष के सापेक्ष प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के पद नाम से बंधक कर प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
6. बोलीदाता नीलामी से पूर्व स्थल पर जहाँ के तहां खड़े व उखड़े शीशम के सूखे वृक्षों को भलीभांति देखकर ही बोली लगाएँ। नीलामी के उपरान्त किसी प्रकार की शिकायत, वाद-विवाद अथवा दावा इत्यादि मान्य एवं स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. वृक्षों को काटते समय किसी भी तरह से अन्य पेड़ों, व्यक्ति या सरकारी संपत्ति को यदि कोई नुकसान होता है, तो सफल बोलीदाता को ही उसकी भरपाई करनी होगी।

.........2

8. नीलामी में लागू नियम एवं शर्तों का पालन न करने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
9. नीलामी में कोई भी सरकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि भाग नहीं लेगा।
10. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी कारण बताए किसी भी / सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

नोट: नीलामी से सम्बंधित यदि किसी को अन्य जानकारी लेनी हो तो वह इस कार्यालय से कार्य दिवस में प्रातः 09.30 से साय: 05.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

19.10.19

वैज्ञानिक-डी एवं प्रभारी